कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-887

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक,
सभी कोटि के शिक्षक/कर्मी
जिला-वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-06/05/26

विषयः- **प्रखंड मुख्यालय/जिला मुख्यालय छोड़ने की अनुमति एवं विभिन्न प्रकार के अवकाश उपभोग करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश।**

प्रसंगः- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-11 (नि0)/वि0 32/2026-276, दिनांक 06.03.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के सेवा से संबंधित शिकायतों एवं अवकाश आदि के निराकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) का निर्धारण किया गया है। विदित हो कि शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय में सुचारू रूप से पठन-पाठन सुनिश्चित करने एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई है। शिक्षा विभाग का स्पष्ट मत है कि शिक्षक विद्यालयों में रहकर पूरे मनोयोग के साथ शैक्षणिक कार्य करें। परन्तु अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय शिक्षक मनमाने ढंग से बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रतिदिन अपने प्रखंड मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थानों (अर्थात जिला से बाहर) से विद्यालय आ-जा रहे हैं तथा स्वेच्छाचारी ढंग से अवकाश का आवेदन देकर या ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्रविष्टि करते हुए विद्यालय छोड़कर चले जा रहे हैं।

शिक्षकों के इस रवैये के कारण विद्यालय का पठन-पाठन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। यह कृत्य न केवल विभागीय नियमों के प्रतिकूल है, बल्कि यह बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) का भी खुला उल्लंघन है। मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहकर शिक्षक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

अतः प्रासंगिक पत्र की कंडिका-2 (अवकाश) एवं विभागीय नियमों के आलोक में अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने के संबंध में निम्नलिखित सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति - विद्यालय के अधीनस्थ शिक्षकों (सभी कोटि) का आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुमति (मुख्यालय छोड़ने हेतु) - आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश पर जाने अथवा जिला मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा (आपातकालीन स्थिति को छोड़कर)। स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार के दीर्घावधि अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। अन्यथा की स्थिति में इसे अनधिकृत अनुपस्थिति मानते हुए संबंधित के विरुद्ध बिहार सेवा संहिता की धाराओं के अंतर्गत विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

3. बिहार सेवा संहिता नियम-240 (घ) एवं नवनियुक्त शिक्षकों हेतु प्रावधान- प्रासंगिक पत्र के S.O.P में वर्णित बिहार सेवा संहिता के नियम-240 (घ) के अनुसार, कोई भी सरकारी सेवक अपने सेवाकाल के पहले तीन (3) वर्षों में कोई उपार्जित अवकाश अर्जित नहीं करता है। अतः सभी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक/प्रधान शिक्षक/नवनियुक्त प्रधानाध्यापक को स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें सेवा के प्रथम 3 वर्षों तक (आकस्मिक एवं विशेष अवकाश को छोड़कर) किसी अन्य प्रकार का सवेतन अवकाश देय नहीं है। नियम-240 (घ) के तहत विशेष परिस्थिति में, यदि शिक्षक ने लगातार 11 महीने की सेवा पूरी कर ली है, तो उन्हें अधिक से अधिक एक माह (विशेष परिस्थिति में एक समय में अधिकतम दो माह) का वेतन रहित असाधारण अवकाश (No Work No Pay) दिया जा सकता है ।

4. ई-शिक्षाकोष (E-Shikshakosh) पर प्रविष्टि- अधोहस्ताक्षरी स्तर से स्वीकृत होने वाले किसी भी प्रकार के अवकाश की प्रविष्टि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी द्वारा उस अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्योंकि विभाग द्वारा जिला कार्यालय के लॉगिन में उक्त अवकाश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का विकल्प नहीं दिया गया है जिसके कारण संबंधित अवकाश स्वतः स्वीकृत हो रहा है, जो मान्य नहीं होगा जब तक ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्णतः ठीक नहीं हो जाता है। बिना पूर्व स्वीकृति के पोर्टल पर अवकाश दर्ज करते हैं तो स्वयं संबंधित शिक्षक जिम्मेवार होंगे।

5. अनधिकृत अनुपस्थिति एवं प्रधानाध्यापकों का उत्तरदायित्व- बिना पूर्वानुमति के उपभोग किए गए असाधारण अवकाश/चिकित्सा अवकाश/उपार्जित अवकाश/ क्षतिपूर्ति अवकाश/ देखभाल अवकाश को अमान्य करते हुए शिक्षक को अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाएगा। यदि कोई शिक्षक बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहता है, या उपर्युक्त अवकाशों का केवल आवेदन देकर विद्यालय से चला जाता है, या अपने 3 साल के सेवाकाल के अंदर पूर्व में ही 30 दिनों के असाधारण अवकाश का उपभोग कर चुका है, तो प्रधानाध्यापक उन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। यदि शिक्षक बलपूर्वक या बिना अनुमति के चले जाते हैं, तो प्रधानाध्यापक इसकी सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को देंगे।

6. योगदान एवं सेवा में टूट- बिना अनुमति के उपर्युक्त अवकाशों पर गए शिक्षकों का विद्यालय में पुनः योगदान बिना अधोहस्ताक्षरी के स्पष्ट आदेश के नहीं करवाया जाएगा। यदि कोई प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक ऐसे शिक्षक का योगदान अपने स्तर से करवा लेते हैं, तो उन्हें इस कृत्य में संलिप्त मानते हुए उनके विरुद्ध भी विभागीय एवं कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन शिक्षकों द्वारा बिना पूर्वानुमति के (विशेष/आपातकालीन परिस्थिति को छोड़कर) 30 दिनों से अधिक के अनधिकृत अवकाश का उपभोग किया गया है, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी निर्देशों का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इस पत्र की प्रति निकालकर विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों/कर्मियों का हस्ताक्षर करवाकर विद्यालय में संधारित रखें। साथ ही, वैसे शिक्षक जो विद्यालय से बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित चल रहे हैं, उन्हें भी इस पत्र की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँ तथा इसका साक्ष्य विद्यालय में सुरक्षित रखें।

विश्वासभाजन

6-5-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-887 हाजीपुर दिनांकः-06/05/26

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

6-5-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।